सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/59/2023 ऑनलाईन नम्बरः– 2023/339 प्रवेश तिथिः– 07.07.2023

1. ओमप्रकाश सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी जाति माली निवासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय के पास वार्ड संख्या 01 राजगढ जिला अलवर।
2. सुरेश चन्द सैनी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल सैनी जाति माली निवासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय के पास वार्ड संख्या 01 राजगढ जिला अलवर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री भूपेन्द्र शर्मा एड. प्रार्थी
2. तहसीदार राजगढ –अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांकः 07/01/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी के खाता संख्या 418 खसरा संख्य 1540/0.03, 1541/0.20, 1549/0.03, 1550/0.11, 1551/0.02, 1604/0.28, 1605/0.01 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी 1/3 हिस्से की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूलचन्द दर्ज रिकार्ड है जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन लाल दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत दर्ज इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अन्त में प्रार्थना पत्र पार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूलचन्द के स्थान पर मोहन लाल दुरूस्त करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक/भू.अ./2022/2064 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार नामा संख्या 38 वाके ग्राम कारोठ से टूंडा बेटा ग्यारसा माली की विरासत मूलचन्द सोहनलाल, लालाराम पिता टूंडा के नाम नामान्तकरण दर्ज हो ग्राम पंचायत कारोठ द्वारा द्वारा स्वीकार हुआ है। मुलचन्द पुत्र टूंडाराम माली की मृत्यु हो चुकी है। जिसके परिजनों द्वारा उपलब्ध दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड में नाम मोहनलाल दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार राजगढ के अनुसारार मूलचन्द और मौहनलाल एक ही व्यक्ति है। जिसे वार्ड पार्षद व अन्य मौजिजान द्वारा तस्दीक किया गया। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम मूलचन्द के स्थान पर मोहन लाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की हाल खाता संख्या 418 खसरा संख्य 1540/0.03, 1541/0.20, 1549/0.03, 1550/0.11, 1551/0.02, 1604/0.28, 1605/0.01 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूलचन्द दर्ज रिकार्ड है। जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन लाल दर्ज रिकार्ड है। सहवन से उक्त गलत दर्ज इन्द्राज से प्रार्थी के हकूक खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूलचन्द के स्थान पर मोहन लाल दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08104004000000300027/2019, आधार कार्ड नम्बर 5289 2394 0117,, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र आजे/08/065/261826,, राशन कार्ड संख्या 00142 आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 418 खसरा संख्य 1540/0.03, 1541/0.20, 1549/0.03, 1550/0.11, 1551/0.02, 1604/0.28, 1605/0.01 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर *स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मूलचन्द दर्ज है उसके स्थान पर मोहन लाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर